

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल-प्रथम, सामान्य शिक्षा के 3500 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 02/2021-22 दिनांक: 31.12.2021 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277 (क) के उप नियम (VI) के तहत आदेश दिनांक 17.04.2022 द्वारा अध्यापक, लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पद पर पूर्णतया अस्थाई (प्रोविजनल) चयन किया जाकर दिनांक 27.04.2022 को जिला आवंटित किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि डूंगरपुर के पत्र दिनांक 29.04.2022, 23.08.2022 व 01.09.2022 के पत्र में डूंगरपुर जिले में निम्नलिखित अभ्यर्थी दोहरी डिग्री के प्रकरणों की श्रेणी में नहीं आने के कारण प्रोविजनल चयन किया जाकर जिला आवंटित किया जाता है—

S. N.	MERIT	Application_No	Candidate_Name	Father_Name	DOB	Gender	Category	Sel_Cat	Sel_Gen	Spl_Cat	ALLOTTED DISTRICT
1	3136	202218278045	DIPESH YADAV	NARAYAN LAL YADAV	09-10-1997	Male	S.C	SC	GEN	-	DUNGARPUR

उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य/विशेष शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित उक्त अभ्यर्थियों का जिला आवंटन तथा नियुक्ति/पदस्थापन सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश कुमार शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टेड याचिकाएं, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डी.बी.सिविल (पीआईएल) रिट याचिका संख्या 2487/2022 एबीवीपी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा समान विषयक दायर अन्य कनेक्टेड याचिका संख्या 5078/2022, 4721/2022, 5079/2022, 5076/2022, 5077/2022 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उक्त भर्ती के संबंध में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगी।

(गौरव अग्रवाल)

IAS

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शिक्षा.)

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/अध्या.भर्ती, 2021-22/अनु. क्षेत्र/ले-1/सा.शि./2022 दिनांक: 30/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा(राज्यमंत्री) महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. उपायुक्त, शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् डूंगरपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा डूंगरपुर से उक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज प्राप्त कर इनकी नियुक्ति/पदस्थापन की नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।
10. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.), प्रारम्भिक शिक्षा डूंगरपुर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सम्बन्धित जिला परिषद् को वाहक स्तर पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(विधि) जोधपुर/जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर